12/5/25

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। उभय पक्ष उप.। वाद कार्य स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से शामिल किया गया। डिक्री जारी हो। नकल से कट हो।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2025/35

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.16 19:02:57 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 23 **दायर दिनांक : 17.01.2025**

हरीराम पुत्र रामचन्द्र उर्फ रामचन्द्रदास जाति बैरागी निवासी ग्राम रायांवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) —वादी

बनाम

1. गिरधारी
2. प्रभुराम
3. महेन्द्र

} पुत्रगण रामचन्द्र उर्फ रामचन्द्रदास जाति बैरागी निवासीयान ग्राम रायांवाली हाल आबाद ग्राम हिंजरासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

4. राजस्थान सरकार जरिये भू—प्रतिनिधि तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

—प्रतिवादीगण

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :
1. श्री राकेश कुमार मनचन्दा, अभिभाषक वादी
2. श्री प्रदीप कुमार, अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1 से 3
3. पैरोकार राज

निर्णय **दिनांक : 12.05.2025**

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषकगण पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 209 आर.टी.ए. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 आपस में सगे भाई हैं। रोही रायांवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2072 की संयुक्त खाता सं. 103/895 के खसरा नं. 102 की कुल 31.954 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में से 4.208 है0 भूमि जरिये इन्तकाल सं. 1315 वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के नाम बहिस्सा बराबर एवं चक 1 डी.ओ. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 की खाता सं. 236/212 के पत्थर नं. 102/41 (92) के किला नं. 1 से 4/1.012 है0क0, 5/1 में 0.127 है0क0, 5/2 में 0.126 है0अ0क0, 6/1 में 0.127 है0क0, 6/2 में 0.126 है0अ0क0, 7/1 में 0.127 है0क0, 7/2 में 0.126 है0अ0क0, 8 से 10/0.759 है0क0, 14/1 में 0.240 है0क0, 14/2 में 0.013 है0अ0क0, 15/1 में 0.126 है0क0, 15/2 में 0.127 है0अ0क0, 16—17/0.506 है0क0, 24/2 में

क्रमशः ..... पेज 2 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.16 19:02:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 23 **दायर दिनांक : 17.01.2025**

हरीराम पुत्र रामचन्द्र उर्फ रामचन्द्रदास जाति बैरागी निवासी ग्राम रायांवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) –वादी

बनाम

1. गिरधारी
2. प्रभुराम
3. महेन्द्र
} पुत्रगण रामचन्द्र उर्फ रामचन्द्रदास जाति बैरागी निवासीयान ग्राम रायांवाली हाल आबाद ग्राम हिंजरासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

4. राजस्थान सरकार जरिये भू–प्रतिनिधि तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

–प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :
1. श्री राकेश कुमार मनचन्दा, अभिभाषक वादी
2. श्री प्रदीप कुमार, अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1 से 3
3. पैरोकार राज

निर्णय **दिनांक : 12.05.2025**

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषकगण पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 209 आर.टी.ए. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 आपस में सगे भाई हैं। रोही रायांवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2072 की संयुक्त खाता सं. 103/895 के खसरा नं. 102 की कुल 31.954 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में से 4.208 है0 भूमि जरिये इन्तकाल सं. 1315 वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के नाम बहिस्सा बराबर एवं चक 1 डी.ओ. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 की खाता सं. 236/212 के पत्थर नं. 102/41 (92) के किला नं. 1 से 4/1.012 है0क0, 5/1 में 0.127 है0क0, 5/2 में 0.126 है0अ0क0, 6/1 में 0.127 है0क0, 6/2 में 0.126 है0अ0क0, 7/1 में 0.127 है0[illegible]/2 में 0.126 है0अ0क0, 8 से 10/0.759 है0क0, 14/[illegible] 0.240 है0क0, [illegible] में 0.013 है0अ0क0, 15/1 में 0.126 है0क0, 15/2 में 0.127 है0अ0क0, [illegible]–17/0.506 है0क0, 24/2 में

क्रमशः ..... पेज 2 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.16 19:02:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

0.228 है0क0, 25/3 में 0.203 है0क0, 25/4 में 0.025 है0अ0क0 = 3.998 है0 (3.455 है0 कमाण्ड व 0.543 है0 अनकमाण्ड) खातेदारी कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 प्रत्येक के नाम 1/4 हिस्सा तथा चक 226 आर.डी.एल. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 की खाता सं. 78/19 के पत्थर नं. 195/43 (87) के किला नं. 6 = 0.253 है0, पत्थर नं. 195/51 (86) के किला नं. 6 से 10 = 1.265 है0 व पत्थर नं. 215/18 (81) के किला नं. 6 से 10 = 1.265 है0, कुल 2.783 है0 अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 प्रत्येक के नाम 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। मुताबिक घरू बंटवारा वादी हरीराम के कब्जा काश्त में रोही रायांवाली के खसरा नं. 102 की 4.208 है0 हिस्सा बारानी खातेदारी भूमि में से 2.918 है0 हिस्सा भूमि व चक 226 आर.डी.एल. के पत्थर नं. 195/51 (86) के किला नं. 6/0.127 है0 उत्तरी पासा, 7/0.126 है0 उत्तरी पासा = 0.253 है0 अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि एवं प्रतिवादी सं. 1 गिरधारी के कब्जा काश्त में रोही रायांवाली के खसरा नं. 102 की 4.208 है0 हिस्सा बारानी खातेदारी भूमि में से 1.290 है0 हिस्सा भूमि व चक 1 डी.ओ. के पत्थर नं. 102/41 (92) के किला नं. 1 से 4/1.012 है0क0, 5/1 में 0.063 है0क0 उत्तरी पासा, 5/2 में 0.063 है0अ0क0 उत्तरी पासा, 6/2 में 0.126 है0अ0क0 = 1.264 है0 (1.075 है0 कमाण्ड व 0.189 है0 अनकमाण्ड) खातेदारी कृषि भूमि एवं प्रतिवादी सं. 2 प्रभुराम के कब्जा काश्त में चक 1 डी.ओ. के पत्थर नं. 102/41 (92) के किला नं. 5/1 में 0.064 है0क0 दक्षिणी पासा, 5/2 में 0.063 है0अ0क0 दक्षिणी पासा, 6/1 में 0.127 है0क0, 7/1 में 0.127 है0क0, 7/2 में 0.126 है0अ0क0, 8 से 10/0.759 है0क0 = 1.266 है0 (1.077 है0 कमाण्ड व 0.189 है0 अनकमाण्ड) खातेदारी कृषि भूमि व चक 226 आर.डी.एल. के पत्थर नं. 215/18 (81) के किला नं. 6 से 10 = 1.265 है0 अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि एवं प्रतिवादी सं. 3 महेन्द्र के कब्जा काश्त में चक 1 डी.ओ. के पत्थर नं. 102/41 (92) के किला नं. 14/1 में 0.240 है0क0, 14/2 में 0.013 है0अ0क0, 15/1 में 0.126 है0क0, 15/2 में 0.127 है0अ0क0, 16-17/0.506 है0क0, 24/2 में 0.228 है0क0, 25/3 में 0.203 है0क0, 25/4 में 0.025 है0अ0क0 = 1.468 है0 (1.303 है0 कमाण्ड व 0.165 है0 अनकमाण्ड) खातेदारी कृषि भूमि व चक 226 आर.डी.एल. के पत्थर

क्रमशः ..... पेज 3 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.16 19:02:57 IST
Reason: Self Attested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

नं. 195/43 (87) के किला नं. 6 = 0.253 है0, पत्थर नं. 195/51 (86) के किला नं. 6/0.126 है0 दक्षिणी पासा, 7/0.127 है0 दक्षिणी पासा, 8 से 10/0.759 है0 = 1.012 है0, कुल 1.265 है0 अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि है, जिस पर वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। वादी ने अपने कब्जा काश्त वाली भूमि को सुधार कर उपजाऊ बनाया है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में उसके हिस्सा व कब्जा में आई सम्पूर्ण भूमि उसके नाम अंकित नहीं होने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वह ना तो बैंक से ऋण ले पा रहा है व ना ही राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर पा रहा है। वादी ने प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 को मुताबिक घरू बंटवारा भूमि राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दियों में अपने-अपने नाम अंकित करवाने का निवेदन किया तो वे स्पष्ट इन्कार हो गये, इसलिए वादी ने वाद प्रस्तुत कर जैरवाद भूमि में मुताबिक घरू बंटवारा उपरोक्तानुसार वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 को खातेदार घोषित कर, मुताबिक घोषणा रोही रायांवाली में वादी व प्रतिवादी सं. 1 के नाम से हिस्सानुसार एवं चक 1 डी.ओ. में प्रतिवादी सं. 1, 2 व 3 के नाम से तथा चक 226 आर.डी.एल. में वादी, प्रतिवादी सं. 2 व 3 के नाम से विशिष्ट भूमि का अलग-अलग खाता कायम किये जाने के आदेश तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ के नाम से पारित किये जाने का निवेदन किया।

वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 की ओर से एडवोकेट श्री प्रदीप कुमार ने वकालतनामा पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 ने दिनांक 30.01.2025 को प्रार्थना-पत्र मय राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा वाद-पत्र में अंकित विवादित कृषि भूमि के सम्बन्ध में आपस में राजीनामा कर लिया गया है, इसलिए राजीनामा तस्दीक किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने की प्रार्थना की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.16 19:08:57 IST
Reason: SelfAttested

वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा को दिनांक 30.01.2025 को शामिल मिसल कर पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा को अदालत द्वारा पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर समस्त पक्षकारों द्वारा अपनी स्वेच्छा से

क्रमशः ..... पेज 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

स्वीकर किये जाने और प्रार्थीगण (वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 से 3) की शिनाख्त उनके अभिभाषकगण द्वारा किये जाने पर राजीनामा तस्दीक किया गया। मुताबिक राजीनामा वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 ने जैरवाद भूमि का घरू बंटवारा कर वाद में अंकन अनुसार कब्जा प्राप्त कर काश्त करना स्वीकार किया और इसी अनुसार पक्षकारान ने राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने में अपनी सहमति व्यक्त की।

न्याय की यह अवधारणा है कि पक्षकारान के मध्य उत्पन्न विवाद का निपटारा शीघ्र हो ताकि पक्षकारान का अनावश्यक धन व समय बर्बाद न हो। वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के मध्य लिखित राजीनामा हो चुका है। मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाकर मुताबिक राजीनामा **रोही रायांवाली तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2072 की संयुक्त खाता सं. 103/895** के खसरा नं. 102 की कुल 31.954 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में जरिये इन्तकाल सं. 1315 दिनांक 20.09.2024 वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के नाम बहिस्सा बराबर अंकित 4.208 है0 में से 2.918 है0 बारानी भूमि का वादी हरीराम को व शेष 1.290 है0 बारानी भूमि का प्रतिवादी सं. 1 गिरधारी को एवं **चक 1 डी.ओ. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 की खाता सं. 236/212** में वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के नाम से ब.हि.ब. अंकित कुल 3.998 है0 (3.455 है0 कमाण्ड व 0.543 है0 अनकमाण्ड) खातेदारी कृषि भूमि में पत्थर नं. 102/41 (92) के किला नं. 1 से 4/1.012 है0क0, 5/1 में 0.063 है0क0 उत्तरी पासा, 5/2 में 0.063 है0अ0क0 उत्तरी पासा, 6/2 में 0.126 है0अ0क0 = 1.264 है0 (1.075 है0 कमाण्ड व 0.189 है0 अनकमाण्ड) खातेदारी कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 1 गिरधारी को व पत्थर नं. 102/41 (92) के किला नं. 5/1 में 0.064 है0क0 दक्षिणी पासा, 5/2 में 0.063 है0अ0क0 दक्षिणी पासा, 6/1 में 0.127 है0क0, 7/1 में 0.127 है0क0, 7/2 में 0.126 है0अ0क0, 8 से 10/0.759 है0क0 = 1.266 है0 (1.077 है0 कमाण्ड व 0.189 है0 अनकमाण्ड) खातेदारी कृषिं भूमि का प्रतिवादी सं. 2 प्रभुराम को व शेष पत्थर नं. 102/41 (92) के किला नं. 14/1 में 0.240 है0क0, 14/2 में 0.013 है0अ0क0, 15/1 में 0.126 है0क0, 15/2 में 0.127 है0अ0क0, 16–17/0.506 है0क0, 24/2 में 0.228 है0क0, 25/3 में

क्रमशः ..... पेज 5 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.16 19:02:57 IST
Reason: SelfAttested

0.203 है0क0, 25/4 में 0.025 है0अ0क0 = 1.468 है0 (1.303 है0 कमाण्ड व 0.165 है0 अनकमाण्ड) खातेदारी कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 3 महेन्द्र को एवं **चक 226 आर.डी.एल. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 की खाता सं. 78/19** में वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के नाम से ब.हि.ब. अंकित कुल 2.783 है0 अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में से पत्थर नं. 195/51 (86) के किला नं. 6/0.127 है0 उत्तरी पासा, 7/0.126 है0 उत्तरी पासा = 0.253 है0 अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि का वादी हरीराम को व पत्थर नं. 215/18 (81) के किला नं. 6 से 10 = 1.265 है0 अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 2 प्रभुराम को व शेष पत्थर नं. 195/43 (87) के किला नं. 6 = 0.253 है0, पत्थर नं. 195/51 (86) के किला नं. 6/0.126 है0 दक्षिणी पासा, 7/0.127 है0 दक्षिणी पासा, 8 से 10/0.759 है0 = 1.012 है0, कुल 1.265 है0 अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 3 महेन्द्र को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। रिकॉर्ड में **रोही रायांवाली तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2072 की संयुक्त खाता सं. 103/895** के खसरा नं. 102 की कुल 31.954 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में से जरिये इन्तकाल सं. 1315 दिनांक 20.09.2024 वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के नाम से बहिस्सा बराबर अंकित 4.208 है0, **चक 1 डी.ओ. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 की खाता सं. 236/212** में वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के नाम ब.हि.ब. अंकित कुल 3.998 है0 (3.455 है0 कमाण्ड व 0.543 है0 अनकमाण्ड) खातेदारी कृषि भूमि, **चक 226 आर.डी.एल. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 की खाता सं. 78/19** में वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के नाम ब.हि.ब. अंकित कुल 2.783 है0 अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि, के अंकन को वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के नाम से कलमजन कर मुताबिक घोषणा उक्त रोही व चकों के राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दियों में अंकन किये जाने और चक 1 डी.ओ. व चक 226 आर.डी.एल. की जमाबन्दियों में अलग–अलग खाता वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के नाम से कायम किये जाने के आदेश तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ के नाम से पारित किये जाते हैं। इसी अनुसार पत्रक डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 12.05.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.16 19:02:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत — सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बइजलास — सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

अनवान :—

हरीराम पुत्र रामचन्द्र उर्फ रामचन्द्रदास जाति बैरागी निवासी ग्राम रायांवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) **—वादी**

बनाम

1. गिरधारी
2. प्रभुराम
3. महेन्द्र
} **पुत्रगण रामचन्द्र उर्फ रामचन्द्रदास जाति बैरागी निवासीयान ग्राम रायांवाली हाल आबाद ग्राम हिंजरासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)**

4. राजस्थान सरकार जरिये भू—प्रतिनिधि तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 88, 53 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 23 वर्ष 2025 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर **अभिभाषक वादी श्री राकेश कुमार मनचन्दा व अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 श्री प्रदीप कुमार एवं पैरोकार राज** के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

वाद वादी स्वीकार किया जाकर मुताबिक राजीनामा **रोही रायांवाली तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2072 की संयुक्त खाता सं. 103/895** के खसरा नं. 102 की कुल 31.954 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में जरिये इन्तकाल सं. 1315 दिनांक 20.09.2024 वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के नाम बहिस्सा बराबर अंकित 4.208 है0 में से 2.918 है0 बारानी भूमि का वादी हरीराम को व शेष 1.290 है0 बारानी भूमि का प्रतिवादी सं. 1 गिरधारी को एवं **चक 1 डी.ओ. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 की खाता सं. 236/212** में वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के नाम से ब.हि.ब. अंकित कुल 3.998 है0 (3.455 है0 कमाण्ड व 0.543 है0 अनकमाण्ड) खातेदारी कृषि भूमि में पत्थर नं. 102/41 (92) के किला नं. 1 से 4/1.012 है0क0, 5/1 में 0.063 है0क0 उत्तरी पासा, 5/2 में 0.063 है0अ0क0 उत्तरी पासा, 6/2 में 0.126 है0अ0क0 = 1.264 है0 (1.075 है0 कमाण्ड व 0.189 है0 अनकमाण्ड) खातेदारी कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 1 गिरधारी को व पत्थर नं. 102/41 (92) के किला नं. 5/1 में 0.064 है0क0 दक्षिणी पासा, 5/2 में 0.063 है0अ0क0 दक्षिणी पासा, 6/1 में 0.127 है0क0, 7/1 में 0.127 है0क0, 7/2 में 0.126 है0अ0क0, 8 से 10/0.759 है0क0 = 1.266 है0 (1.077 है0 कमाण्ड व 0.189 है0 अनकमाण्ड) खातेदारी कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 2 प्रभुराम को व शेष पत्थर नं. 102/41 (92) के किला नं. 14/1 में 0.240 है0क0, 14/2 में 0.013 है0अ0क0, 15/1 में 0.126 है0क0, 15/2 में 0.127 है0अ0क0, 16—17/0.506 है0क0, 24/2 में 0.228 है0क0, 25/3 में 0.203 है0क0, [illegible] में 0.025 है0अ0क0 = 1.468 है0 (1.303 है0 कमाण्ड व 0.165 है0 अनकमाण्ड) खातेदारी कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 3 महेन्द्र को एवं **चक 226 आर.डी.एस. तहसील [illegible] की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से**

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.16 19:02:57 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

2078 की खाता सं. 78/19 में वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के नाम से ब.हि.ब. अंकित कुल 2.783 है0 अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में से पत्थर नं. 195/51 (86) के किला नं. 6/0.127 है0 उत्तरी पासा, 7/0.126 है0 उत्तरी पासा = 0.253 है0 अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि का वादी हरीराम को व पत्थर नं. 215/18 (81) के किला नं. 6 से 10 = 1.265 है0 अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 2 प्रभुराम को व शेष पत्थर नं. 195/43 (87) के किला नं. 6 = 0.253 है0, पत्थर नं. 195/51 (86) के किला नं. 6/0.126 है0 दक्षिणी पासा, 7/0.127 है0 दक्षिणी पासा, 8 से 10/0.759 है0 = 1.012 है0, कुल 1.265 है0 अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 3 महेन्द्र को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। रिकॉर्ड में **रोही रायांवाली तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2072 की संयुक्त खाता सं. 103/895** के खसरा नं. 102 की कुल 31.954 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में से जरिये इन्तकाल सं. 1315 दिनांक 20.09.2024 वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के नाम से बहिस्सा बराबर अंकित 4.208 है0, **चक 1 डी.ओ. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 की खाता सं. 236/212** में वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के नाम ब.हि.ब. अंकित कुल 3.998 है0 (3.455 है0 कमाण्ड व 0.543 है0 अनकमाण्ड) खातेदारी कृषि भूमि, **चक 226 आर.डी.एल. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 की खाता सं. 78/19** में वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के नाम ब.हि.ब. अंकित कुल 2.783 है0 अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि, के अंकन को वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के नाम से कलमजन कर मुताबिक घोषणा तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को उक्त रोही व चकों के राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दियों में अंकन किये जाने और चक 1 डी.ओ. व चक 226 आर.डी.एल. की जमाबन्दियों में अलग–अलग खाता वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के नाम से कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

नोज ....×......... मुबलिंग ....×.......... बाबत ....×.......... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ....×............. फसदों की पालना ....×...........आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 12.05.2025 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.16 19:02:57 IST
Reason: SelfAttested